

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 321] No. 321] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2016/आश्विन 12, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2016/ASVINA 12, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2016

सं. 37 /2015-20

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.94(क)(i), 4.94(क)(ii) और ए एन एफ – 4 झ में संशोधन ।

फा. सं. 01/94/180/39/एएम-17/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

- 2. मौजूदा पैरा 4.94(क)(i) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
 - नामित अभिकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फोर स्टार हाऊस (एसईजेड/ईओयू इकाइयों, यिद कोई है से निर्यात निष्पादन छोड़कर केवल रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदों के किये गये निर्यातों के आधार पर स्तर) और फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाऊस (एसईजेड/ईओयू इकाइयों, यिद कोई है को रत्न और आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन को छोड़कर) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ए एन एफ 4 झ में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत जारी किये गये वैध स्तर धारक प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति को अपलोड करना होगा।
- 3. मौजूदा पैरा 4.94(क)(ii) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
 - नामित अभिकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की तिथि पर स्तर प्रमाणपत्र अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी वैध होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदन की तिथि को आवेदक को फोर स्टार एक्सपोर्ट हाऊस (एसईजेड/ईओय् इकाइयों यदि कोई हों, के निर्यात निष्पादन को छोड़कर रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदों के निर्यात

4737 GI/2016 (1)

के आधार पर)/फाइव स्टार एक्सपोर्ट हाऊस एसईजेड/ईओयू इकाइयों यदि कोई हों, से रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन को छोड़कर) के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु अर्हता प्राप्ति के लिए भी पात्र होना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय प्राधिकारी नामित अभिकरण प्रमाणपत्र को जारी/नवीकरण करने से पूर्व निर्यात निष्पादन के आधार पर स्तर धारक की पात्रता का पुन: आकलन करेगा।

4. मसौदा एएनएफ-4 झ को संशोधित किया जाता है तथा संशोधित एएनएफ - 4 झ को सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:- इस संशोधन से एसईजेड/ईओयू इकाइयों से रत्न और आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन को नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु किसी आईईसी धारक की डीटीए इकाइयों से किए गए निर्यात निष्पादन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तथा तदनुसार पैरा 4.94(क)(i), 4.94(क)(ii) और ए एन एफ – 4 झ में भी परिवर्तन किए गए हैं।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

ए एन एफ 4 झ नामित एजेंसी प्रमाण पत्र (एनएसी)/नामित एजेंसी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र

	(कृपया आवदन पत्र भरन स पहल अन्त म दिए गए दिशानिदश देख)					
			भाग-क			
1	आईईसी संख्या		ब्रांच कोड			
2	के लिए आवेदन (कृपया	(√) करे)	नया नामित एजेंसी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना	नामित एजेंसी प्र नवीनीकरण	नामित एजेंसी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	
	``	ण पत्र जारी करने की तिथि थे (यदि आवेदन एनएसी के				
3	ई-कॉम संदर्भ संख्या	सौंपने की तिथि	को सौपा गया	आरए फाइल सं.	आरए फाइल तिथि	
4	प्राप्त किए गए स्तर प्रम	ाण पत्र की श्रेणी (कृपया (√) व	करें) चार सितारा निर्यात सद	न/पांच सितारा निर्या	त सदन	
	स्तर प्रमाण पत्र की सं.:					
	दिनांकः					
	वैधताः					
5	निर्यातक का प्रकार (कृपया निशान लगाएं) ($$)					
i.	व्यापारी निर्यातक					
ii.	विनिर्माता निर्यातक					

:::	. सेवा प्रदायक										
iii.											
iv.	व्यापारी एवं विनि	नमाता									
v.	अन्य (कृपया उ	ल्लेख क	₹)								
6	आर सी एम सी	ं संख्या	तारीख			जारी करने प्राधिकारी	वाला	कब है	वैधता अवधि	उत्पाद जिनके पंजीकृत किया	
								Į.		1	
7	आवेदन शुल्क विवरण क्रम. सं.		लेक्ट्रानिक ट्रान्सफर सं0	/क्रेडिट सं.	बैंव नाग	त्र शाखा का म	अदायगी का तरीका		तारीख	राशि (<u>र</u> ु.)	
8	उत्पाद-शुल्क पंजीकरण सं. क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय र पता जिसके क्षेत्राधिक परिसर स्थित है।			-	री/	किए	-	पता जहां पर मदों को प्रयोग			
						भाग-ख					
9. पिछले लाइसेसिंग वर्ष और मौजूदा वर्ष (अर्थात् वर्ष जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया) के दौरान निर्यातों/मान्य निर्यातों/ अर्जित विदेशी मुद्रा (सेज / ईओयू से रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन, यदि कोई है, को छोड़कर) के विवरण जो वि सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस द्वारा विधिक्त रूप से सत्यापित हों, अनुलग्नक के साथ संलग्न है।						जो कि					
क्र.सं.	. वर्ष (कृपया वर्ष विनिर्दिंट करें)		निर्यात	(अमरीकी डालर	र में)						
i.	मौजूदा वर्ष										
ii.	पूर्व वर्ष 1										
iii.	पूर्व वर्ष 2										
iv.	पूर्व वर्ष 3										
v.	पूर्व वर्ष 4										

पूर्व वर्ष 5

vi.

घोषणा/वचनबद्धता

में/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि

- 1. हमें निम्निलिखत अधिनियमां (समय-समय पर यथा संशोधित) (i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, (iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और (iv) विदेश विनिमय प्रबन्धन अधिनियम, 1999, (v) विदेश विनिमय संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 ख में से किसी भी अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया गया है।
- 2. इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है । यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी यदि गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो ।
- 3. मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एसएच) वर्गीकरण तथा नामित एजेंसियों पर यथा लागू, समय-समय पर यथा संशोधित आरबीआई तथा सीमा शुल्क विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करेंगे।
- 4. मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि फर्म/कम्पनी का स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्त्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्त्ता के स्म्र में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में आती है अथवा विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है।
- 5. कि मैंने/हमने निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिंट 3 में यथा निहित स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित/निर्यात के लिए प्रस्तावित मद(मदें) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है । (रेखांकित हिस्से को हटा दिया जाएगा, यदि स्कोमेट मद के लिए निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है)
- 6. मैं/हम एतद्द्वारा घौँाणा करता हूँ/करते हैं कि आरबीआई द्वारा दी गई निर्धारित अवधि अथवा आरबीआई की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद, कोई निर्यात आय बकाया नहीं है ।
- 7. कि मैंने/हमने एएनएफ-1 में आईईसी प्रोफाइल को अद्यतन कर लिया है।
- 8. कि मैंने / हमने सेज / ईओयू यूनिटों से रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन को शामिल नहीं किया है
- 9. मैं विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हुँ ।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक नाम

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल

आवेदकों के लिए दिशा निर्देश

(कृपया विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.94 को देखें)

- 1. आवेदन पत्र डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए आनलाइन दायर किया जाएगा।
- 2. आर सी एम सी के ब्यौरे दिये जाने की आवश्यकता नहीं है यदि इसे पहले ही एएनएफ-<u>1</u> में अद्यतन कर दिया गया है।

- कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करेः 3.
 - वैध स्तरधारक प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - अनुलग्नक 4झ का अनुलग्नक ।
 - सेज / ईओय यनिटों से रत्न एवं आभूषण महों के लिए निर्धात निष्पादन को नामित एजेंसी प्रमाणपूर्व के लिए

	ग.
	घ. संबद्ध अर्द्ध वार्षिक रिटर्न (रिटनर्स), यदि लागू है, परिशिष्ट 4ण में दिए प्रपत्र के अनुसार अप्रैल से सितम्बर/अक्तूबर से मार्च की अवधि के लिए।
	आयात निर्यात प्रपत्र 4झ का अनुलग्नक
	सनदी लेखाकार (सीए) लागत एवं निर्माण लेखाकार/(आईसीडब्ल्यूए)/कंपनी सचिव (सीएस) का प्रमाण-पत्र
	तद्द्वारा पुटि करते हैं कि मैंने/हमने लाइसेंसिंग अवधि (अवधियों) के लिए मैसर्स जिनकी आई ई सी संख्या है रेत रजिस्टरों और संबंधित रिकार्ड की जांच कर ली है और एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि:
सत्यापित (विकास एयरवेज	निम्नलिखित दस्तावेज/रिकार्ड आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार जांच लिए एवं कर लिए गए हैं:- क सीमाशुल्क अधिनियम 1962 एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 1848, सेवा कर अधिनियम, विदेश व्यापार एवं विनियमन) अधिनियम 1992,के तहत सांविधिक दस्तावेजीकरण ख निर्यात आदेश/ठेके, शिपिंग बिल, लदान बिल (और बिल/पीपी प्राप्तियाँ), सीमा-शुल्क/बैंक से सत्यापित बिल निर्गम आगम छूट प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) और निर्यातों और के बैंक प्रमाण पत्र जी आर घौँाणा एवं लेखों की संबंधित पुस्तकें; ग. एफआईआरसी, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कोर्ड कंपनियों से
2. उनकी स	आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा आयात-निर्यात फार्म 4झ में दी गई सूचना समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 तथा उसके नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार हैं तथा मैसर्स
3.	सेज / ईओयू यूनिटों से रत्न एवं आभूषण मदों के लिए निर्यात निष्पादन को नामित एजेंसी प्रमाणपत्र के लिए पात्रता की गणना करने के लिए शामिल नहीं किया गया है।
4.	यह सुनिश्चित किया गया है कि (क) प्रस्तुत सूचना सभी तरह से सत्य और सही है, इसका कोई भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है तथा कोई संबद्ध सूचना छुपाई अथवा रोकी नहीं गई है । (ख) माल के निर्यात के संबंध में, एक पोतलदान की निर्यातकों के निर्यात टर्नओवर/निष्पादन के लिए तभी माना जा सकता है जब विदेशों से निर्यात आय की प्राप्ति आवेदक के बैंक खाते में जाती है। (ग) सेवा प्रदायकों के मामले में, मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात आय की प्राप्ति सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित है।
5.	न तो मैं और न ही मेरा/हमारा साझीदार उपरोक्त कम्पनी, इसकी समूह कम्पनियों अथवा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों का साझीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी है ।
6.	यदि क्रमांक (1) में वर्णित कोई भी दस्तावेज रखा/तैयार नहीं किया गया है, निरीक्षण या परीक्षण नहीं किया गया है, कृपया उनका नीचे उल्लेख करें:
स्थान	सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस के हस्ताक्षर
दिनांक .	हस्ताक्षर कर्त्ता का नाम
	सदस्यता संख्या
	पता

ई मेल पता

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th October, 2016

No. 37/2015-2020

Sub: Amendment in Para 4.94(a)(i), 4.94(a)(ii) and ANF-4I of Hand Book of Procedures 2015-20-reg

- **F. No.-01/94/180/39/AM17/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Hand Book of Procedures 2015-2020:
 - 2. The existing Para 4.94(a) (i) is amended to read as under:
 - Four Star Export House (status on the basis of exports made only of Gems & Jewellery Sector items excluding export performance from SEZ/EOU units, if any) and Five Star Export House (excluding export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units, if any) may apply to the concerned Regional Authority online in ANF 4- I for issue of Nominated Agency Certificate. Applicant shall upload a self-attested copy of the valid Status Holder Certificate issued under FTP 2015-2020.
 - 3. The existing Para 4.94(a)(ii) is amended to read as under:
 - On the date of application for renewal of Nominated Agency Certificate, the Status Certificate must be valid for next financial year also. Secondly, applicant should also be eligible to qualify to be recognized as Four Star Export House (based on the export of gems and jewellery sector items excluding export performance from SEZ/EOU units, if any)/Five Star Export House(excluding export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units, if any) on the date of application. In other words, Regional Authority shall reassess the eligibility of status holder based on export performance before issuing/renewing the Nominated Agency Certificate.
 - 4. The existing ANF-4I is amended and revised ANF-4I is annexed with this Public Notice.

Effect of this Public Notice:

With this amendment, the export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units shall not be clubbed with export performance from DTA units of any IEC holder for grant of Nominated Agency Certificate and accordingly changes in Para 4.94(a)(i), 4.94(a)(ii) and ANF-4I are also carried out.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

ANF- 4I

Application for Issue of Nominated Agency Certificate (NAC)/Renewal of Nominated Agency Certificate

[Please see guidelines given at the end before filling the application online]

Part A

1	IEC No.					Branch Code	
2	Application for (please tick)			Grant of fresh			of Nominated
			INC	minated		Agency (Certificate
			Agency Certificate				
	(i) Date of issue of Nominated Agency						
	Certificate:						
	(ii) Expiry date (in case of request is						
	for renewal of NAC):						
3	Ecom. Reference No	Submission Date	•	Submitted To	RA	File No	RA File Date

Number of Status Certificate : Date: Validity:		4	Category of Status Certificate held (please tick): Four Star Export House/Five Star Export House
	Ī		Number of Status Certificate:
Validity:	Ī		Date:
	Ī		Validity:

5.	Nature of concern (please tick mark)
i.	Merchant Exporter
ii	Manufacturer Exporter
iii	Service Provider
iv	Merchant cum Manufacturer
V	Others (Please specify)

6	RCMC Number	Date	Issuing Authority	Validity Period	Products for which registered

7	Application Fee details Sr. No.	Receipt/Electronic Fund Transfer No./Credit Card	Name of the Bank Branch	Pay Mode	Date	Amount (in Rs.)

8	Excise Registration	Address of the jurisdictional Central	Address of the factory/
	Number	Excise Authority under whose	premises where the items
		jurisdiction the factory/premises	to be imported are
		situated.	proposed to be used

Part B

9. Details of Exports/Deemed Exports/Foreign Exchange earned (*excluding export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units, if any*) during preceding licensing years and current year (i.e. year in which application is filed), duly certified by CA/ICWA/CS in annexure attached.

Sr. No.	Year (Please specify the year)	Exports (in USD)
i.	Current Year	
ii	Previous Year 1	
iii	Previous Year 2	
iv	Previous Year 3	
V	Previous Year 4	
vi	Previous Year 5	

DECLARATION/UNDERTAKING

I/We hereby declare that:

- 1. I/We have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act,1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B.
- 2. The particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- 3. I/We would abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign trade Policy, the Handbook Procedures and the ITC(HS) Classification of Export & Import Items as well as RBI and Customs guidelines, as amended from time to time, as applicable to Nominated Agencies.
- 4. None of the Proprietor/Partner(s)/Director(s)/Karta/Trustee of the firm/company, as the case may be, is/are a Proprietor/Partner(s)/Director(s)/Karta/Trustee in any other firm/Company which has come to the adverse notice of DGFT or in the caution list of RBI to the best of my knowledge.
- 5. that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export-Import Items, and that the item(s) exported/proposed to be exported does not fall within this list and that I/ We agree to abide by the provisions of the Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy, Schedule 2 of ITC (HS) and the HBP, irrespective of the scheme under which the item is exported/proposed to be exported (the underlined portion will be deleted in case an application for export license for SCOMET item is being filed).
- 6. no export proceeds are outstanding beyond the prescribed period as laid down by RBI or such extended period for which RBI permission has been obtained.
- 7. that I/We have updated the IEC profiles in ANF-1
- 8. that I/we have not included the export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units.
- 9. I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the FTP.

Place:	Signature of the Applicant
Date:	Name Designation Official Address Telephone Residential Address

Email Address

GUIDELINES FOR APPLICANTS

[Please see paragraph 4.41 of FTP and 4.94 of HBP]

- 1. Application shall be filed online using digital signature only.
- 2. RCMC details need not be given if the same has already been updated in ANF-1.
- 3. Please upload following documents:
 - a. Self certified copy of valid Status Holder Certificate.
 - b. Annexure-I to ANF 4I.
 - c. Export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units to be excluded for calculating eligibility for Nominated Agency Certificate.
 - d. Relevant half yearly return(s), if applicable, as per the format given in Appendix 4-O for the period April to September/October to March.

Annexure to ANF 4I

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA)/COST ACCOUNTANT (ICWA)/ COMPANY SECRETARY (CS)

- 1. Following documents/records have been furnished by applicant firm/company and have been examined and verified by me/us namely: a. Statutory documentations under Customs Act 1962 and Excise Act 1848, Service Tax Act, Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992; b. Export Order/Contract, Shipping Bills, Bill of Lading (and /or Airways Bills/PP Receipts), Customs/Bank attested Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs) and Bank Certificates of exports and realization, GR declaration and connected books of accounts; c. FIRCs, Certificate from international credit card companies.
- 3. That export performance of Gems and Jewellery items from SEZ/EOU units has not been included for calculating the eligibility for Nominated Agency Certificate.
- 4. It has been ensured that a. Information furnished is true and correct in all respects; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld; b. In respect of export of goods, a shipment can counted in applicants export turnover/ performance only if the realization of export proceeds from overseas is in the applicant's bank account. c. In respect of service providers, realization of export proceeds in free foreign exchange pertains to rendering of services.
- 5. Neither I, nor any of my/our partners is a partner, director, or an employee of above-named entity, its Group companies or its associated concerns;
- 6. If any of documents of record mentioned in serial number (i) have not been maintained/furnished, examined or verified, they may please be specified below:-

Place:	Signature of CA/ ICWA/CS:
Date:	Name of the Signatory:
	Membership No:
	Address:
	e-mail Address: